proceeds from the disinvestment would be utilised for the rehabilitation of such units. What I am trying to say is this. Incurring loss has become a phenomenon even in the private sector. A company like TELCO has made a loss of Rs. 500 crores. I would like to know whether any study has been conducted by the Government. What are the reasons for incurring losses by the heavy industry? I would like to know whether globalisation is responsible for such things.

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, the reasons for the public sector undertakings going into loss are, shortage of working capital, paucity of advance, obsolete technology, high cost of products, due to many factors, including excessive manpower, and, sometimes, inefficiency of the management. The question of creating a separate corpus was, no doubt, raised a number of times. The Government has expressed its inability to do that because the money that is coming from the disinvestment is to be utilised for the General Budget purposes. Therefore, the Finance Minister had also made it clear in one of his speeches that the money could not be used again for the same company only. It must be understood that a separate corpus has not been created for these prposes. The Government gives money for wages, salary, VRS and for a number of other things, including restructuring. Therefore, even without creating a corpus for these purposes, the Government is spending much more money.

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, यह बहुत इम्पोर्टिंट क्वेश्चन है इस पर Half-an-hour डिसकशन होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Now, we have already taken half an hour on this question. Question No. 104.

Indian entry for Film Festival at Cannes

*104. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India had no entry for the Film Festival held at Cannes recently;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that despite there being no entry a jumbo size official team visited the Festival;

(d) if so, the justification therefor, details of composition, the responsibilities handled in India and specific contribution made by each member of official team at Cannes, alongwith expenditure incurred on them individually and the delegation; and

(e) the norms laid down for official representations at such festivals and how far have these been observed for Cannes?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Indian entry for Film Festival at Cannes

(a) India had no official entry for the Cannes Film Festival, 2001.

(b) The entries for the Cannes Film Festival are sent by the Directorate of Film Festivals from the film selected for the Indian Panorama of the year; which is one of the sections of the International Film Festival of India (IFFI). The dates of IFFI have been changed from January to October with effect from this year. The selection of films for Indian Panorama is currently in progress. As the Cannes Film Festival was held in May, no entry could be sent this year.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

(e) Deputation of officials to such festivals is decided on the basis of need.

श्री आर० पी० गोयनका: सर, मेरे दो सवाल है। Sushmaji is well-known for giving very precise and exact answers. लेकिन आज मालूम नहीं कि क्यों इन्होंने इस क्वेश्चन का कोई खास जबाव नहीं दिया या कोई सेटिसफैक्टरी जवाब नहीं दिया। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि कितने लोग केन्स गए थे? वहां एक फिल्म की एंट्री थी या पांच की थी यह सवाल नहीं उठता है लेकिन क्या उसको

मंत्री महोदया जस्टिफाई कर सकती हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि उन्होंने वहां से लौटने के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को क्या एडवाइज दी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक सवाल संतोषजनक उत्तर न देने का है मैं आपके समक्ष हूं आप जिस तरह के सवाल, जैसे सवाल स्वयं गोयनका जी या बाकी माननीय संसद सदस्य पूछना चाहेंगे, उनका संतोषजनक उत्तर देने के लिए स्वयं यहां उपस्थित हूं। जहां तक आपने अधिकारियों की बात की है, मैं बताना चाहूंगी कि मंत्रालय की तरफ से केवल एक डायरेक्टर लेवल की अधिकारी केन्स फेस्टीवल में गई थीं। डायरेक्ट्रेट ऑफ फिल्म फेस्टीवल जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टीवल से सीधा ताल्लुक रखता है उनकी एक डायरेक्टर केन्स फिल्म फेस्टीवल मे गई थीं। चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया जो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय बाल फेस्टीवल करते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टीवल दो वर्ष में एक बार आयोजित करते हैं क्योंकि वह फेस्टीवल इस वर्ष होना था इसलिए उनकी एक डायरेक्टर लेवल की एक अधिकारी गई थीं। एनएफडीसी जो वहां पर जाकर मार्केटिंग करता है और जिसने इस बार वहां पर पैवेलियन लगाने का कार्य किया था उनके तीन अधिकारी वहां पर गए थे। लेकिन मैं एक चीज़ यहां पर बता दूं क्योंकि जो ध्वनि इस सवाल में से निकल रही है, बहुत बुजुर्ग सदस्य ने यह सवाल पूछा है, आमतौर पर एक धारणा बन जाती है कि जब विदेश यात्रा किसी चीज़ के साथ जुड़ती है तो एक धारणा बनती है कि शायद तफरी के लिए यह किया है, आनन्द के लिए या मौज-मस्ती के लिए गए हैं। मैं गोयनका जी की बात के लिए आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि केन्स फिल्म फेस्टीवल में जाने का फैसला बहुत सोच-समझकर किया गया था। इस बार हमने वहां इंडियन पैवेलियन स्थापित करने का फैसला किया था। गोयनका जी, केन्स फिल्म फेस्टीवल केवल फेस्टीवल आयोजित नहीं करता है, उनका एक मार्केटिंग सैक्शन भी होता है, बाजार। आज से पहले कभी भारत ने उसके बाजार को टटोलना नहीं चाहा। लेकिन पिछले दो वर्षों में भारत का सिनेमा परिदृश्य बहुत बड़े पैमाने पर बदला है। अगर मैं आपको आंकड़े दूं तो आप चौकेंगे।

सभापति जी, 1998-99 तक हमारे यहां से केवल दो सौ, ढाई सौ करोड़ रुपये का फिल्म निर्यात होता था, 1999 में भी यह निर्यात केवल ढाई सौ करोड़ रुपये का हुआ था। लेकिन सन् 2000 में क्वांटम जम्प करके यह निर्यात साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का हो गया, दो सौ करोड़ रुपये ज्यादा यानी लगभग दो गुना और इस बार उसकी संभावना और डेढ़ गुना, दो गुना होने की है। अगर इतनी बड़ी संभावनाओं को निश्चितता में बदलना है तो सरकार केवल नीति निर्धारण करके मूक-दर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती बल्कि उनको एक प्रोएक्टिव फैसिलिटेटर का रोल, सक्रिय भूमिका निभानी होगी और वही सक्रिय भूमिका निभाने के लिए

केन्स फिल्म फेस्टीवल में इस तरह का पार्टीसिपेशन करने का हमने फैसला किया था जिसके लिए ये अधिकारी वहां पर गए थे।

श्री बालकवि बैरागी: धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने उत्तर काफी विस्तार से दिया है। इस संबंध में मैं दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह जानना चाहता हूं कि क्या मार्केटिंग की तलाश में स्वयं मंत्री महोदया केन्स गयी थीं क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट है कि आप भी वहां पर मार्केटिंग की मॉनिटरिंग वगैरह के लिए गयी थीं और आपने वहां स्टॉल लगाया था और वहां पर कुछ कारोबार भारतीय फिल्म के सिलसिले में हुआ। ...(व्यवधान)... मौज मस्ती का सवाल नहीं है। मौज मस्ती तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं तो कभी वहां गया नहीं हूं। आप वहां गयी हैं तो आप जानती होंगी, मैं तो वहां गया नहीं हूं। दूसरा, आपने प्रश्न के उत्तर के अंत में दिया है कि ऐसे समारोहों के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकता के अनुसार की जाती है। महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न स्पष्ट है कि आपकी इन नियुक्तियों के लिए आवश्यकता या आवश्यकता के मापदंड क्या हैं। उस दिशा में आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। यह पूरे का पूरा अध्याय बिल्कुल गूंगा है। क्या आप इसको स्पष्ट करेंगी कि आपके मापदंड क्या हैं और आपने वहां कितनी मार्केटिंग की? इसकी जानकारी भी कृपया सदन को दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का पहला भाग है कि क्या मैं स्वयं वहां गयी थी तो मैं आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि मेरा दौरा फ्रांस और इंग्लैड का अलग से तय था लेकिन हमने उन तिथियों को इसके साथ जोड़ा ताकि एक दिन वहां सैट अप किये गये इंडियन पैवेलियन को मैं भी देख सकूं। एक दिन मैं केन्स में थी, यह देखने के लिए कि हमारा इंडियन पैवेलियन किस तरह से काम कर रहा है और मैंने एक दिन केन्स फिल्म फैस्टीवल का दौरा किया। जहां तक भाग "ख" का सवाल है, आधे से ज्यादा जवाब तो मैं अपने पहले विस्तृत जवाब में दे चुकी हूं। वह आवश्यकताएं ही मैं बता रही थी लेकिन उसको मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो डी॰एफ॰एफ॰ की अधिकारी गयीं वह इसलिए गयीं क्योंकि हमारे यहां अपना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैस्टीवल अक्तूबर में होना है और इस तरह के फैस्टीवल में जाकर वह अपनी फिल्मों का चयन करती हैं। उनका काम यह था। जो सी॰एफ॰एस॰आई॰ की डायरेक्टर गयीं, वह इसलिए गयीं क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फैस्टीवल इस साल नवम्बर में होना है तो वह उसके लिए और अपनी फिल्म की मार्केटिंग करने के लिए गयी थीं। जो एन॰एफ॰डी॰सी॰ है, जो उनकी अपनी फिल्में कोप्रोडक्शन में और स्वयं में बनती हैं—उनकी मार्केटिंग का काम करता है और हर साल जाकर एक स्टॉल लगाता है लेकिन इस साल हमने पूरा पैवेलियन बनाया। एन॰एफ॰डी॰सी॰ के जो तीन अधिकारी वहां गये, वे अपनी फिल्मों का व्यापार करने के लिये गये और जो हमारे मंत्रालय के डायरेक्टर लैवल की अधिकारी वहां गयीं,

वह इसलिए गयीं क्योंकि एक नया फैसला इसी वर्ष किया गया है कि केन्स फिल्म मार्केटिंग का दोहन हम उन बाजारों के लिए करेंगे, जो बाजार अभी तक हमारे लिए अछूते हैं ताकि यह जो साढ़े चार सौ करोड़ से बढ़ने वाली संभावना है, यह निश्चितता में बदल जाए। उसके लिए हमारी अपनी डायरेक्टर वहां गयीं। मुझे लगता है कि इतनी स्पष्टता से माननीय सदस्य को जरूर संतोष हो गया होगा।

श्री बालकवि बैरागी: वहां से आपको जो आदेश मिला या जो संभावनाएं हैं, वह कितने करोड़ की है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, यह दो अलग-अलग ढंग के हैं। कुछ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के हैं और कुछ एन०एफ०डी०सी० के हैं। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के आंकड़े तो हम तक पहुंचे नहीं हैं और शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री अपने आपमें काफी स्कैटर्ड है लेकिन जहां तक एन०एफ०डी०सी० का सवाल है, हमें बताया गया है कि लगभग एक करोड़ का बिज़िनेस उन्होंने किया है और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि 64 लाख 36 हजार का तो साइन हो गया और बाकी अभी नैगोसिएशन में है।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, there is a convention that is followed that we celebrate the International Film Festival in January every year. I would like to know from the hon. Minister as to why this convention is not being followed and why it is being changed from January to October. As we know, there is the Children's Film Festival in November and, now, they want to hold the International Film Festival also in October. If we hold two Film Festivals successively, that is, one in October and another in November, definitely, it creates inconvenience to the filmmakers. So, I would like to know why the Government of India took a decision of changing the timing.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगी क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है कि हम जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैस्टीवल करते थे तो हमने उसको अक्तूबर में क्यों किया। डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फैस्टीवल से एक प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ जिसमें बाकायदा यह तर्क दिये गये थे कि तीन बड़े फैस्टीवल्स, क्योंकि सवाल पूछने वाले सांसद स्वयं फिल्म जगत से हैं इसलिए जिन तीन फैस्टीवल्स का मैं नाम ले रही हूं, वह उनसे जरूर वाकिफ होंगे, पॉम स्प्रिंग्स, रोटरडैम और गोल्डन ग्लोब फैस्टीवल। यह तीनों फैस्टीवल्स बड़े फैस्टीवल्स हैं जिनसे हमारी डेट्स क्लैश करती थीं। इसके अलावा क्योंकि

हमारा फैस्टीवल जनवरी में होता था तो क्रिसमस और न्यू ईयर उसके साथ क्लैश करते थे। इन दोनों कारणों के कारण हमारे यहां फिल्म की प्रविष्टियां, फिल्म की ऐंटरीज़ कम आती थीं। बहुत जगह फिल्म फैस्टीवल्स में यह होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वे फिल्म दूसरी जगह भेज देते हैं, वे हमारे यहां नहीं भेजते। ये प्रोड्यूसर्स उन फिल्म महोत्सवों में ज्यादा फिल्में भेज देते थे। इसलिए हमारे यहां ऐंटरीज़ कम होती थीं और उतने तर की भी नहीं होती थीं। खास तौर पर डायरेटोरेट ऑफ फिल्म फैस्टीवल्स से हमें प्रस्ताव आया कि हमने, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिल्म महोत्सव बनाती है, उनसे भी बात कर ली है और हम चाहेंगे कि मंत्रालय इसकी स्वीकृति दे कि जनवरी की बजाय ये अक्तूबर में किया जाए ताकि हमारे यहां प्रविष्टियां ज्यादा आएं। बहुत सोचा समझा फैसला उन सबसे बात करने के बाद किया गया है और बहुत अच्छे फिल्म महोत्सवों से हमारे फिल्म फैस्टीवल्स की डैट्स क्लैश न करें, इसलिए यह फैसला लिया गया कि हम जनवरी के बजाए इसको अक्तूबर में करें।

Welfare of Senior Citizens

*105. SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has more than 75 million of people who are more than 60 years of age or are senior citizens;

(b) if so, the break-up of the senior citizen, State-wise; and

(c) the steps Government are taking or propose to take for the welfare of the senior citizens?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Welfare of Senior Citizens

(a) The number of persons aged 60 years and above as per the Census of India 2001 is not available. However, as per the 1991 Census, the population of persons aged 60 years and above is 56.68 million.

(b) The state-wise break-up of the senior citizens as on date is not available. However, as per the Census of India 1991 the state-wise break up is at Statement-I (*See* below).